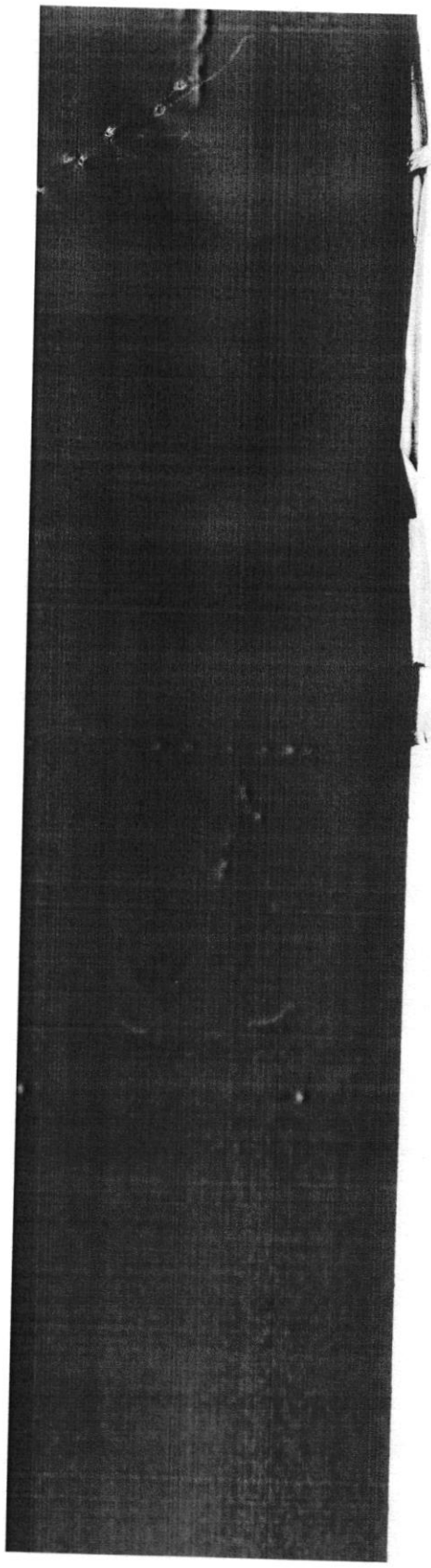

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0 प्र0) (1)

श्रीमति साधना सिंह पत्नी मानसिंह ठाकुर

निवासी - धर (धवाई) तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़, म0प्र0

Smt Rajni Vasistha Sr Adv

श्री रजनी वशिष्ठ वरिष्ठ अभि० 5/9/16

-- निगरानीकर्ता/ आवेदक

।। बनाम ।।

निग० 3031-I/16

5-9-16

1) खिलकन तनय धुन्धा सौर
2) ग्यादीन तनय प्यारेलाल सौर
3) पनु तनय मोहन आदिवासी
4) कक्कू तनय हरिया सौर

Sumit Singh Jadon Adv

5) धोधन तनय मोहन सौर
6) पनु तनय मिठीलाल सौर
7) बाबू तनय मिठीलाल सौर
8) चत्तू बेवा हल्कू सौर

Shri Yogendra Singh Bhadoriya Adv

निवासी धवाई धर तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) - - उत्तरवादीगण

9. म० प्र० शासन

निगरानी/आवेदन अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959 :-

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पलेरा के प्रकरण क्रं.-59/अपील/2015-2016 आदेश दिनांक 15/06/2016 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालयमें प्रस्तुत की है :-

-: निगरानी का विवरण :-

1) यह कि, निगरानीकर्ता/आवेदक को न्यायालय तहसीलदार पलेरा के प्रकरण क्रं.-30/अ-19/2001-2002 में पारित आदेश दिनांक 30/01/2002 के तहत खसरा नंबर 643/4/1 रकवा 1.940 लगानी 3.40 रु. का भूमि स्थायी स्वत्व का पट्टा जारी किया था।

2) यह कि, उपरोक्त पट्टा अनुसार ग्राम धवाई (कुड़याला) की भूमि पर निगरानीकर्ता काबिज है उपरोक्त जमीन पर निगरानीकर्ता के पूर्वजों का 50 वर्षों से कब्जा रहा है उसी अनुसार न्यायालय तहसीलदार पलेरा ने निगरानीकर्ता को उपरोक्त भूमि का दिनांक 30/01/2002 को पट्टा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(2)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग. 3031–एक/2016 जिला– टीकमगढ़

साधना सिंह विरूद्ध खिलकन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–09–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अनावेदक क्र. 1 लगायत 4 की ओर से अभिभाषक श्री सुनील जदौन व अनावेदक क्र. 5 लगायत 8 की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र भदौरिया एवं अनावेदक क्र. 9 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री संगम जैन उपस्थित हुये। 2/ आवेदिका अभिभाषक की ओर से आज दिनांक 19.09.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के आदेश दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई थी, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत करनी थी। 3/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उक्त निगरानी प्रकरण वापस लेने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण में अन्य पक्षकारों एवं शासकीय अभिभाषक श्री संगम जैन को आवेदिका के द्वारा प्रकरण वापस लेने के संम्बध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 4/ मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला–टीकमगढ़ के राजस्व प्र. क्र. 59/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 का अवलोकन किया	

गया। जिसमें Oprating Paira निम्नानुसार है– " प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम थर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 643/4/1 रकबा 1.940 हैक्टेयर भूमि पर तत्कालीन पटवारी महेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 30/अ–19/2001–02 दिनांक 30.01.2002 का हवाला देकर नामांतरण पंजी क्रमांक 11 दिनांक 05.09.2010 पर दर्ज कर खसरा वर्ष 2010–11 में उत्तरवादिया के नाम प्रविष्टि की गई है। तहसीलदार पलेरा के पत्र क्रमांक 1271/प्रतिलिपि/तहसील/2015 दिनांक 29.12.2015 द्वारा संसूचित किया गया, कि कथित राजस्व प्रकरण क्रमांक 30/अ–19/2001–02 आदेश दिनांक 30.01.2002 राजस्व प्रकरण रजिस्टर में रामप्रसाद तनय रामनाथ निवासी सिमराखुर्द के नाम दर्ज है। जो अदम पैरवी में खारिज किया जाकर जिला अभिलेखागार में संचित किया जा चुका है । यह प्रमाणित तथ्य है कि उत्तरवादिया जो क्षत्रिय जाति की सामान्य वर्ग की है, वर्ष 2001–02 में सामान्य वर्ग को भूमि पट्टा पर देने का कोई प्रावधान नहीं था । उत्तरवादिया ने तत्कालीन पटवारी महेन्द्र सिंह से दुरभि संधि करके राजस्व अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि दर्ज कराली है। पटवारी द्वारा नामांतरण पंजी में फर्जी प्रकरण का हवाला देकर 8 वर्षों बाद अपनी पद स्थापना के दौरान उत्तरवादिया जो उसकी निकटतम रिश्तेदार है, अनुचित लाभ पहुँचाया है। अपील में सुनवाई के दौरान उत्तरवादिया द्वारा पट्टा एवं स्वामित्व दस्तावेज पेश नहीं किया, फर्जी खसरा प्रविष्टि पोषक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है, जिसकी पुष्टि विष्णुशरण बनाम अजुद्दीबाई 2004 आर.एन. 185 म.प्र. हा.को., ए.आई.आर.

2/4
19/9/18

(3)

1964 एस.सी.136 से होती है। फर्जी खसरा प्रविष्टि से स्वत्व अर्जन नहीं हो सकता है। राजाराम विरूद्ध म.प्र.राज्य 2003 आर.एन.399, म.प्र.हाई कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। रंजीत सिंह विरूद्ध बिहारीलाल 2002 आर.एन. 401 दीमन विरूद्ध रामेश्वर 1964 जे.एल.जे. नोट्स 279 हाई कोर्ट में अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों के इन्द्राज स्वत्व प्रमाण नहीं होता है, यदि कोई पक्ष किसी कृषि भूमि या अन्य सम्पत्ति पर अपना स्वत्व दर्शाता है तो उसे अपने स्वत्व के श्रोत को प्रमाणित करना होगा । चूँकि हल्का पटवारी द्वारा उत्तरवादिया से दुरभि संधि करके फर्जी प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में की है, जो जन्मवत शून्य है, जिसके सही होने की उपधारण नहीं की जा सकती है। ऐसी भू–प्रविष्टियों को कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है । चूँकि आलोच्य प्रविष्टि अचानक, बगैर किसी आदेश के फर्जी तौर पर की गई है, जिसे शून्य घोषित किया जाता है तथा पूर्ववत म.प्र.शासन दर्ज करने का आदेश दिया जाता है, इसी प्रकार ग्राम थर की नामांतरण पंजी वर्ष 2009–10 क्रमांक 1 (किन्तु खसरे में दर्ज क्रमांक 11) शून्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार आलोच्य खसरा प्रविष्टि वर्ष 2010–11 से अद्यतन प्रत्येक वर्ष तक तथा आलोच्य नामांतरण पंजी क्रमांक 1 (खसरे में दर्ज क्रमांक 11) पर निरस्त/शून्य घोषित दर्ज करावे । चूँकि उत्तरवादिया साधनासिंह पत्नी मानसिंह ठाकुर, निवासी–थर से दुरभि संधि करके तत्कालीन हल्का पटवारी महेन्द्र सिंह चन्देल (वर्तमान पदस्थ पटवारी हल्का मांची) तहसील जतारा के विरूद्ध राजस्व अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि, कूट रचना के आरोप में पटवारी के विरूद्ध

3/4

1919

विभागीय जांच संस्थित करने हेतु आरो पत्रादि तैयार करके तहसीलदार भेजें । पक्षकार सूचित हो, प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जाये। "

5/ अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा पूर्व में कोई स्थंगन नहीं दिया गया है। आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी के आवेदन को वापस (Withdraw) लेने पर अन्य अक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाकर प्रकरण वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

6/ इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा को भेजा जाये और सुनिश्चित कराया जाये कि उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.06.2016 में जो कार्यवाही प्रस्तावित की है, उसका पालन सुनिचित हो एवं तदनुसार खसरा में शासकीय भूमि के संम्बध में प्रविष्टि दर्ज कराया जाये।

7/ उभयपक्ष के अभिभाषकों को नोट करायें एवं आदेश की प्रतिलिपि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी जतारा को भेजा जावे । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 19.9.18
सदस्य